

पत्रांक - 4816

दि 25/9/17 पंजीकृत

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० एक्सप्रेसवेज,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)
सी-13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन,
विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ ।

OSDCF

25-9-17

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्र संख्या 1526/जि०भू०व्य०लि०/पत्रा०-58/पुनर्ग्रहण/2017

दिनांक सितम्बर 20, 2017

विषय :- पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1491/यूपीडा/17 जेड32847402 दिनांक 14.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु ग्राम सभा की 10 हे० भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि का चिन्हांकन करते हुये प्रस्ताव तथा भूमि की उपयुक्तता के संबंध में वन विभाग का प्रमाण-पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण की परियोजना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में यह अवगत कराना है जनपद के तहसील लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्राम मतवार स्थित आ०सं० 774ख रकबा 10.092हे० श्रेणी-5(1) नवीन परती खाते की भूमि का चिन्हांकन करते हुये आरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु उसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 807/33 दिनांक 14.09.2017 द्वारा 10 वर्षों के अनुरक्षण की परियोजना संलग्न करते हुये अवगत कराया है कि प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

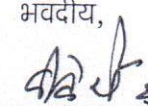
उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा प्रस्तावित भूमि 10.092हे० भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्यांकन रु० 1,09,70,004.00 (रु० एक करोड़ नौ लाख सत्तर हजार चार मात्र) तथा बाजार दर से मूल्यांकन रु० 60,55,200.00 (रु० साठ लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) जिसकी चार गुना धनराशि रु० 2,42,20,800.00 (रु० दो करोड़ बयालीस लाख बीस हजार आठ सौ मात्र) तथा मालगुजारी का 150 गुना धनराशि रु० 37,500.00 (रु० सैतीस हजार पाँच सौ) निर्धारित किया गया है।

अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 536/1-2-2013-476/12 दिनांक 11.03.2013 के बिन्दु संख्या 3 में विभिन्न विकास कार्यों, जिनमें

वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग करने की अनुमति दी गयी हो, आवश्यकतानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण/अवस्थापना हेतु भूमि वन विभाग को लैण्ड बैंक के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान किया गया है । इसी शासनादेश के बिन्दु संख्या 4 में यह व्यवस्थित है कि दूसरे मण्डल के जनपद में लैण्ड बैंक उपलब्ध होने की दशा में भूमि देने का अधिकार शासन में निहित होगा । पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना परियोजना जनपद अथवा मण्डल की नहीं है बल्कि यह दूसरे मण्डल की प्रस्तावित परियोजना है । ऐसी स्थिति में वन भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि के पुनर्ग्रहण अधिकार शासन में निहित है ।

अतः वन विभाग के पत्र दिनांक 14.09.2017 एवं पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश के आलोक में प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि के बदले ग्राम सभा की भूमि दिये जाने हेतु प्रस्तावित आराजियात को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लैण्ड बैंक के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,

(बिमल कुमार दूबे)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पत्र पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

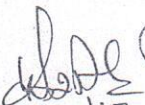
—
(बिमल कुमार दूबे)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पुनर्ग्रहण की संस्तुति वांछित/विचारणीय बिन्दु

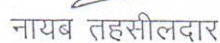
1. पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित विभाग/संस्था का स्पष्ट नाम व पता — मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)— सी-13 द्वितीय तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ ।
2. पुनर्ग्रहण प्रस्ताव का प्रयोजन जिसके हेतु आवश्यकता है— एक्सप्रेसवेज
3. प्रस्तावित भूमि की श्रेणी/क्या भूमि गांव सभा में निहित है, और यदि निहित है तो क्या आरक्षण श्रेणी/सुरक्षित भूमि तो नहीं है— नहीं।
4. मौके पर भूमि खाली व विवाद रहित है— हाँ।
5. भूमि कृषि योग्य है अथवा कृषि अयोग्य— कृषि योग्य है।
6. प्रस्तावित भूमि राजस्व संहिता की धारा-77 की श्रेणी में अथवा मौके पर तत्प्रयोग की तो नहीं है— नहीं
7. प्रस्तावित भू-खण्ड तक मार्ग की स्थिति अर्थात् पहुंच की व्यवस्था— पक्की सड़क द्वारा।
8. गांव सभा का प्रस्ताव— भूमाफियों के कब्जे से मुक्ति कराये जाने के कारण भू०प्र०स० अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव करने में हिलाहवाली कर रहा है।
9. खसरा की प्रतिलिपि— संलग्न है।
10. खतौनी की प्रतिलिपि— संलग्न है।
11. बन्दो बस्ती अभिलेख की स्थिति—
12. राजकीय विभाग/संस्था को देय है अथवा निगम/निकाय/प्राइवेट संस्था आदि को— सरकारी विभाग राज्य सरकार
13. मूल्य देय की दशा में पुनर्ग्रहण किया जाना है अथवा निःशुल्क— सशुल्क
14. प्रस्तर-13 की उभय दशाओं पूजीगत मूल्य जो मालगुजारी का 150 गुना होगा तथा बाजार मूल्य दोनों का स्पष्ट उल्लेख हो— संलग्न है।
15. दृष्टिमान चित्र स्पष्ट हो जिससे प्रस्तावित भूमि व आस-पास की स्थिति स्पष्ट हो— संलग्न है।
16. भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकता/यथेष्टता अनुसार भूमि की मांग का उल्लेख हो— संलग्न है।
17. भूमि असामी/अनुज्ञापिधारी के कब्जे की भूमि तो नहीं है— नहीं
18. किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के कब्जे की भूमि तो नहीं है— नहीं
19. प्रस्तावित भूमि विकास के कार्य/निर्माण तो नहीं है और यदि है तो नियमानुसार प्रतिकर निर्धारण करा कर सहमति गांव सभा की लेकर आख्या प्रस्तुत हो। ग्राम के सामुदायिक विकास के लिए निर्दिष्ट भूमि तो नहीं है— नहीं
20. पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 की उप धारा (2) के खण्ड 1, 2 तथा 4 में निर्दिष्ट भूमि है अथवा नहीं है— है
21. स्थानीय जनता का कोई अहित तो नहीं है— नहीं
22. कोई अन्य प्रस्ताव तो विचाराधीन नहीं है— नहीं
23. शासनादेश के अनुसार क्या गांव सभा के पात्र व्यक्तियों को आवंटन से संतुप्त किया जा चुका है— हां
24. क्या वन क्षेत्र तो प्रभावित नहीं होगा— नहीं
25. क्या प्रस्ताव सबसे बेहतर विकल्प है— हां
26. स्पष्ट संस्तुति सहित स्वीकृतार्थ आख्या प्रेषित की जाय—

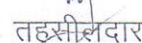
महोदय,

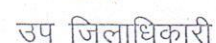
ग्राम मतवार की आ० सं० 774ख/10.092हे० मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)— सी-13 द्वितीय तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ के पक्ष में पुनर्ग्रहण प्रस्ताव संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित ।


22/8/17
सेवापाल


रा०नि०


नायब तहसीलदार


तहसीलदार
लालगंज


उप जिलाधिकारी
लालगंज

प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन
तहसील- सादर, जनदप-मीरजापुर

क. सं०	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	पुर्नग्रहीत होने वाली भूमि का क्षेत्रफल हे०	राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि विवरण	स्थानीय प्राधिका सी का नाम	कुल भालगु जमी (रूपये में)	भालगुजासी का 150 गुना	निर्धारित सकिरल रेट (प्रति हे०) सड़क पर	निर्धारित सकिरल रेट के अनुसार पुर्नग्रहीत भूमि का मूल्यांकन	बाजारू दर प्रति हे०	बाजारू दर से मूल्यांकन रू० में	बाजारू मूल्यांकन का चार गुना रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मलदर	774ख	10.092	श्रेणी -5(1)नवीन परती	ग्राम सभा	250.00	37500.00	1087000	10970004.00	600000 प्रति हे०	6,055,200	2,42,20800.00	-


लेखपाल
22/8/17

सा०नि०
हलिया

नायब तहसीलदार / हलिया
लालगंज

तहसीलदार
लालगंज

उपजिलाधिकारी
लालगंज